प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 31.05.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

क्षेत्राधिकारी धौरहरा, श्री टी०एन० दुबे की सेवानिवृति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन

आज दिनांक 31.05.2022 को जनपद खीरी से क्षेत्राधिकारी धौरहरा, श्री टी०एन० दुबे पुलिस सेवा से सेवानिवृत हुए। उनकी सेवानिवृति के अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा क्षेत्राधिकारी धौरहरा, श्री टी०एन० दुबे को पुष्पमाला पहनाकर तथा स्मृतिचिन्ह, उपहार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा उनके आगामी सुखद व मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाओं सहित विदाई दी गईं। विदाई समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री अरुण कुमार सिंह के साथ-साथ समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक खीरी, प्रभारी निरीक्षक धौरहरा, प्रभारी निरीक्षक ईसानगर, थानाध्यक्ष फूलबेहड़ आदि अधिकारीगण द्वारा भी उन्हें शुभकामनाएं दी गई।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त वहीद पुत्र हवीव को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.05.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त वहीद पुत्र हवीव को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर सेहरुआ गांव से गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 177/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वहीद पुत्र हवीव नि0 ग्राम रोशन नगर थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त वहीद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 33/11 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
2. मु0अ0सं0 34/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0 474/06 धारा 304 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार

2. का0 निर्देश कुमार

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल उर्फ राम किशोर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.05.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 136/22 धारा 376/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त राहुल उर्फ राम किशोर पुत्र रामदीन को ग्राम सुरतियापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल उर्फ राम किशोर पुत्र रामधीन नि0 ग्राम सुरतियापुर थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राहुल सिंह
2. हे0का0 रवीन्द्र बिहारी
3. का0 बन्टी कुमार

<u>सड़क सुरक्षा यातायात माह के अंतर्गत कार्यवाही; शरबत व भंडारा के दौरान वाहन चालकों को आयोजकों द्वारा रोड के बीच में जाकर अचानक न रोकने के लिए किया गया जागरुक</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात माह के अंतर्गत आज चेकिंग/भ्रमण के दौरान देखा गया कि जेठ मंगलवार होने के कारण हनुमान जी के भक्तों द्वारा शरबत व भंडारा का आयोजन जगह-जगह पर किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा हाईवे रोड के बीच में आकर वाहन चालकों को इशारा देकर शरबत पीने व भंडारा खाने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है जो खतरनाक साबित हो सकता है। इसके संबंध में यातायात नियमों के बारे में पंपलेट एवं म्यूजिक के माध्यम से जानकारी दी गई और साथ ही (नेक आदमी) गुड सेमिनेटर के बारे में बताया गया कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को (गोल्डन आवर) 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पुरस्कार राशि जनपद स्तर पर ₹5,000 व प्रदेश स्तर पर ₹50,000 रुपये पुरस्कार के रुप में मिलते है। साथ ही वाहन चालकों को बताया कि वाहन चलाते समय निम्न सावधानी अवश्य बरतें वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से कदापि बात ना करें, गलत दिशा में वाहन ना चलाएं, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी ना चले, शराब के नशे में वाहन न चलाएं, तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं ढाबा स्वामियों एवं चालक/ परिचालकों को भी हिदायत दी गई कि रोड के किनारे वाहन कदापि खड़ा न करें आदि उपरोक्त नियमों का पालन करने पर दुर्घटनाएं कम होगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। जनपद में जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 30.05.22 को सघन अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 217 वाहन चालकों का चालान मोटर यान अधिनियम के तहत किया गया।

थाना गोला पुलिस द्वारा, 05 अभियुक्तों को गोकशी हेतु ले जा रहे 02 राशि गोवंश पशु व गोकशी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व गोकशी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.05.2022 को थाना गोला पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नुआपुर घाट के ब्लॉक नं0 5 जमुनाबाद फार्म के पास 05 अभियुक्त गोकशी हेतु 02 राशि गाय को मारते-पीटते हुए ले जा रहे है। सूचना पर थाना गोला पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर 05 नफर अभियुक्त वसीम कुरैशी, परवेज, मुस्तकीम, जमशेद व असलम को 02 राशि गाय व गोकशी हेतु ले जा रहे उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 359/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. वसीम कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी नि0 भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी
2. परवेज पुत्र हनीफ नि0 भुडवारा थाना गोला जनपद खीरी
3. मुस्तकीम पुत्र खलील अहमद नि0 परसेरा बुजुर्ग थाना फरधान जनपद खीरी
4. जमशेद पुत्र अब्बास नि0 परसेरा बुर्जुग थाना फरधान जनपद खीरी
5. असलम उर्फ इस्लाम पुत्र कालिम खां निवासी मुर्तिहा थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी-

02 राशि गाय

02 अदद मोटरसाइकिल

गोकशी का सामान (02 अदद छूरी, 01 अदद गडांसा , 01 अदद कुल्हाडी , 01 अदद लकड़ी की कुंदी , 01 अदद लोहे का तराजू , 01 अदद धार बनाने का एक पत्थर, 03 अदद लोहे के बाट व 01 अदद रस्सी लटकाने वाला तराजू)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री विपिनकुमार
2. उ0नि0 श्री अरुण कुमार
3. उ0नि0 श्री संचित यादव
4. का0 राजेन्द्र सिंह गंगवार
5. का0 गौरव उज्जवल
6. का0 सुर्या प्रताप राघव
7. का0 चन्द्रेश
8. का0 चाहत शर्मा
9. का0 रविन्द्र शुक्ला

थाना फरधान पुलिस द्वारा, गुमशुदा युसुफ पुत्र इब्राहिम को सकुशल बरामद करके परिजन के सुपुर्द किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपहृत/गुमशुदा/लापता व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन मुस्कान" अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.05.2022 को क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना फरधान पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना फरधान पर पंजीकृत गुमशुदगी संख्या 09/22 से संबंधित गुमशुदा युसुफ पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम बम्हनपुर थाना फरधान जनपद खीरी को सकुशल बरामद करके परिवारीजन के सुपुर्द किया गया।

बरामद गुमशुदा का विवरण:-

युसुफ पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम बम्हनपुर थाना फरधान जनपद खीरी

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 170 लीटर अवैध शराब व 04 शराब भट्टी बरामद कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **170 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **04 शराब भट्टी** बरामद कर **14 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **14 अभियोग** पंजीकृत किए गए।